165

511(14)
15/5/13

सं0 सं0 14/एम0 सी0—10/2012
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः शेट्टी आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के न्यायिक सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत पदाधिकारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

स्वास्थ्य विभाग के संकल्प सं0—94(14)दिनांक 07.02.2007 के द्वारा न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों एवं उन पर आश्रित उनके परिवार के सदस्यों को शेट्टी आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में विशेष रूप से चिकित्सा सुविधा दी जा चुकी है।

2. स्वास्थ्य विभाग के संकल्प सं0 611(14) दिनांक 01.06.2009 के द्वारा राज्य के न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों एवं उनके पति/पत्नी को राज्य के विधान मंडल के सदस्यों को प्राप्त चिकित्सा सुविधा के समकक्ष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। ।

3. सिविल रिट पिटिशन सं0 1022/89 ऑल इंडिया जजेज एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में राज्य न्यायिक सेवा के कार्यरत/सेवानिवृत पदाधिकारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में पूर्व में निर्गत संकल्पों के क्रम में निम्न प्रावधान किये जाते है;

(i) परिवार से तात्पर्य है, सरकारी सेवक के पति/पत्नी, और माता—पिता और सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित, माता,पिता, अविवाहित बच्चे एवं सौतेले बच्चे (उम्र सीमा 25 वर्ष)।

(ii) राज्य न्यायिक सेवा के सेवानिवृत पदाधिकारियों को भी सेवारत पदाधिकारियों के समान चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी। चिकित्सा व्यय की यह प्रतिपूर्ति राज्य सरकार के विधि विभाग के माध्यम से की जायेगी। विधि विभाग इस संबंध में प्रक्रिया एवं मार्गदर्शन निर्गत करेगा। किंतु राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित "बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना" के लागू होने के उपरांत न्यायिक सेवा के सेवानिवृत पदाधिकारी उक्त योजना के अन्तर्गत स्वतः लाभान्वित किये जा सकेंगे।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगामी असाधरण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय। साथ ही राजपत्र की 500 प्रतियां स्वास्थ्य विभाग को भेजा जाय।

9/5
(व्यास जी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक—14/एम0 सी0—10/2012 511(14) पटना, दिनांक 15/5/13

प्रतिलिपि—अधीक्षक,सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/सचिव,विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,बिहार,पटना /प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—सभी सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार/उप कोषागार, पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/5